राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 134वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 134वीं बैठक दिनांक 06/12/2022 को अपराह्न 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 133वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 133वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 428वीं एवं 429वीं बैठक क्रमशः दिनांक 17/10/2022 एवं 18/10/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बरबसपुर पत्थर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रामानुज चन्द्राकर), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2075)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69807/ 2021, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 193 एवं 187/2, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,356.25 टन (1,342.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वेदप्रकाश चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 187/2 एवं 193, कुल क्षेत्रफल – 0.65 हेक्टेयर, क्षमता – 1,342.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1156/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	284
2018	443
2019	382
2020	290
दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/09/2021	435
दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/03/2022	345

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 884/क/खनि/न.क्र./2016 महासमुन्द, दिनांक 28/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.95 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1309/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 193 श्री मनोज कुमार एवं खसरा क्रमांक 187/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री रामानुज चंद्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/01/2014 से 03/01/2024 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/01/2024 से 02/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/1448 महासमुंद, दिनांक 25/04/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.15 कि. मी., स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 6.55 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.9 कि.मी. दूर है। महानदी 340 मीटर, नहर 620 मीटर एवं बरसाती नाला 890 मीटर की दूरी पर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,36,597 टन, माईनेबल रिजर्व 42,453 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 31,840 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,31,150 टन एवं माईनेबल रिजर्व 37,006 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,480 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 के लागू होने से पहले उत्पादन किया जा चुका है।
द्वितीय	
तृतीय	2,681.25
चतुर्थ	2,973.75
पंचम	3,030.00
षष्टम	3,131.25
सप्तम	3,356.25
अष्टम	3,525.00
नवम	3,735.00
दशम	3,891.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.59 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 130 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 80 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 235 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही लीज क्षेत्र में 398 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई के पश्चात् उत्खनन नहीं किया जाएगा। उपरोक्त का उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 868 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–धोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–धोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–धोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.95 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.85 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 5 (ii) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." **के स्थान पर** 5 (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated

in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 5 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 5 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सर्वार्ट टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स मुड़ीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश चंद्राकर), ग्राम–मुड़ीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2011)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268456/2022, दिनांक 02/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुड़ीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट औफ खसरा क्रमांक – 311 एवं 312, कुल क्षेत्रफल–1.064 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ीपार का दिनांक 18/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलींग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान ऐण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1810/खनि 02/ना.प्र.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुशंसित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान–** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 311 श्री सौरभ चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 312 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण–** एल.ओ.आई. श्री राजेश चन्द्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 149/ख.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/2021/7362 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम– मुड़ीपार 100 मीटर, स्कूल मुड़ीपार 700 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.2 कि.मी. की दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,98,000 टन (3,19,200 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,98,245 टन (1,19,298 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,83,335 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,891 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है एवं मात्रा 7,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Private Land **Village- Murhipar**	
			Plantation with fencing	1.06
			Total	**1.06**

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु आवेदित ग्राम–मुड़ीपार में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 311 एवं 312, क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर) में वृक्षारोपण हेतु (आम एवं नीम के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17. ग्राम मुड़ीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,000 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (2,891 वर्गमीटर) की सीमा पट्टी में भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या उनकी प्रजाति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या उनकी प्रजाति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राम मुड़ीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में 2 नग छीन, 2 नग करंज, 2 नग नीम, 1 नग बबूल, 1 नग आम, 1 नग बेर, एवं 1 नग जाम, इस प्रकार कुल 10 नग वृक्ष है।

2. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. ग्राम मुड़ीपार शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् भूमि विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,09,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं सिंचाई, खाद, रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,76,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ीपार) का क्षेत्रफल 1.064 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मुड़ीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश चंद्राकर) को ग्राम–मुड़ीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 311 एवं 312 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.064 हेक्टेयर, क्षमता – 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मुड़ीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश चंद्राकर) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स सालेपाल सेम्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मण्डावी), ग्राम–सालेपाल, तहसील–लोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1931)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 358708/2022, दिनांक 11/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित लेम्प स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सालेपाल, तहसील–लोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 187/2 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,77,305 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सालेपाल का दिनांक 16/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है साथ ही पेसा (PESA) एक्ट के तहत् ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 383/खनिज/उत्ख.यो. /2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 30/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2899/खनिज/ख.लि. 4/12/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2901/खनिज/ख.लि.4/12/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की

परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1161/ खनिज/ ख.नि.4/ 12/2020–21/खनिज/उ.प. /2021 जगदलपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2923/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क.50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2022 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 25/05/2023) तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./4552 जगदलपुर, दिनांक 16/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र में नीलगिरी के 8,430 नग वृक्ष विद्यमान है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नीलगिरी के जीवित वृक्षों के कटाई के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। समिति का मत है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही सीमित संख्या में उक्त जीवित वृक्षों की कटाई की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सालेपाल 500 मीटर एवं स्कूल ग्राम–सालेपाल 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 12,37,500 टन, माईनेबल रिजर्व 8,82,325 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,38,208 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,707.2 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,76,250
द्वितीय	1,76,250
तृतीय	1,76,250
चतुर्थ	1,76,250
पंचम	1,77,305

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,76,000 रुपये, खाद के लिए राशि 12,000 रुपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,84,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.66	2%	0.87	Following activities at Nearby Govt. Middle School, **Village- Salopal**	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Total	**0.90**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्रशर हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्तावित स्थल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायाधीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्रशर की स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सालेपाल का दिनांक 28/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 11,700 घनमीटर है जिसमें से 8,352 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2889/खनिज/ख.लि.4/12/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सालेपाल) का क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सालेपाल सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मण्डावी) को ग्राम–सालेपाल, तहसील–लोकपाल, जिला–बस्तर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 187/2 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर, क्षमता – 1,77,305 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सालेपाल सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मण्डावी) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 3,348 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर क्वारी हेतु प्रस्तावित गैर माईनिंग क्षेत्र में डम्प किये जाने उपरांत क्वारी स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव में शामिल करते हुये सी.ई.आर. का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.36	2%	0.88	Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Environment related Books	0.10
			Cupboard (Almirah)	0.10
			Total	1.10

5. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउन्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार,

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1551)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 197220 / 2021, दिनांक 08 / 02 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18 / 02 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26 / 05 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218 / 1, 1218 / 2, 1219 / 1, 1219 / 2, 1228 / 1 एवं 1229(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,317.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष पालीवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 27 / 11 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 796 / खनि02 / मा.प्र.अनुमोदन / न.क.08 / 2020(2) नया रायपुर, दिनांक 08 / 02 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक / 3672 / खनि.लि.02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 30 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.974 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन,

2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस लघुत्तम खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3673/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. आशीष पालीवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1228/1 श्री मुकेश चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1216(पार्ट), 1217(पार्ट) श्रीमती विमला चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 1229(पार्ट) श्री नेपाल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/एफ.अभि./2020/4422 दुर्ग, दिनांक 11/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौरामाहा 1.6 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–धौरामाहा 1.6 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, माईनेबल रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,96,735 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,440 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया

जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,317	छठवां	20,197
द्वितीय	25,046	सातवां	19,991
तृतीय	25,271	आठवां	10,054
चतुर्थ	24,218	नवम	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,518

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए माईनिंग प्लान अनुसार 280 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Dhaurabhata	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Plantation in School/ Community Health	0.10

			Center Premises	
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमदत्त रहमतकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. नि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की संभावित आयु 5 वर्ष उल्लेखित है। जबकि वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन के विवरण में 10 वर्षों की योजना का उल्लेख है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सी.ई.आर. के विस्तृत प्रस्ताव के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 183/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित नहीं है।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. के साथ संलग्न नक्शे में आवेदित क्षेत्र के चिन्हांकन का प्रमाण पत्र ग्राम स्तर से हस्ताक्षरित है। नक्शे के अनुसार लीज क्षेत्र का चिन्हांकन पत्र प्रस्तुत किया है। उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी होने उपरांत ही आवेदित क्षेत्र लीज क्षेत्र होगा एवं तदोपरांत ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 46 के प्रावधानों अनुसार सीमांकन किया जाकर सीमा चिन्ह स्थापित हो सकेंगे।

2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. मूलल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/900/खनि.ति. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों में से 1 खदान के पट्टेधार द्वारा दिनांक 08/02/2021 को खदान संचालन में असमर्थता व्यक्त करते हुये खदान बंद करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है एवं अन्य दूसरी खदान में कार्यानुमति दिनांक 24/01/2018 से आज दिनांक तक खनिज का प्रेषण नहीं किया जाना बताया गया है। उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही प्रचलित होने का उल्लेख है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्रामय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 एवं 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/938/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 10/10/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"संचालक भौविकी तथा खनिकर्म, छ.ग. के पत्र क्रमांक 5177/खनि–2/न.क्र.57/2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/10/2022 में पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 57/2022 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 में छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया गया है।"** होना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. नि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धौरामाहा) का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धौरामाहा) को मिलाकर कुल रकबा 3.56 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौरामाहा लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम–धौरामाहा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर, क्षमता – 26,317 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौरामाहा लाईम स्टोन क्वारी) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चहारदीवारी तथा सी.ई.आर. के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स तारापुर स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती सरोज अग्रवाल), ग्राम–तारापुर, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1935)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 256865 / 2022, दिनांक 18 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–तारापुर, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रविश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तारापुर का दिनांक 19 / 12 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 915 / खनिज / उ.यो. / 2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 27 / 01 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 201–सी / खनिज / ख.लि.3 / रेत खदान / 2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 201–सी / खनिज / ख.लि.3 / रेत खदान / 2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती सरोज अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3051/खनिज/ख.कि.3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर उप वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/1515 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.4 कि.मी. दूर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तारापुर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–तारापुर 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल बकावण्ड 19 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 40 दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 475 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई–3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई–2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.29	2%	0.35	Following activities at nearby. Village-Tarapur	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 870 नग पौधों के लिए राशि 17,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,540 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,23,920 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,17,860 रूपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,55,792 रूपये तथा तृतीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,24,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1348, क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 90 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,060 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 680 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,72,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,720 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,780 रूपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज

विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नसरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. श्रीमती सरोज अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3051/खनिज/ख.नि.3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तुत जानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज विभाग द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश की जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः जब भी वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग द्वारा किये जाने उपरांत उसकी प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क्र. त.अ./5983 जगदलपुर, दिनांक 10/10/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3.4 कि.मी. दूर है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। नसकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-तारापुर) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 80 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,080 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 880 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,720 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,780 रुपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनो ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो. – श्रीमती सरोज अग्रवाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, ग्राम–तारापुर, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग

गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 80 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5923/खनि 02/रेत(Rule 7)/ग.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 12/01/2023) की अवधि हेतु किया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स तारापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती सरोज अग्रवाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1242, ग्राम–तारापुर, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु अतिरिक्त शर्त "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।" के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो.– श्री सुरेश परलाकिरी), ग्राम–टलनार, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (खनिकालय का नस्ती क्रमांक 1036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 256880/2022, दिनांक 18/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–टलनार, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसाकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सूरज कश्यप, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टलनार का दिनांक 12/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना –** माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 916/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 27/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 199–बी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 09/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 199–बी/खनिज/ख.लि.3 /रेत खदान /2022 जगदलपुर, दिनांक 09/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री सुरेश परसानिरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3037/खनिज/ख.लि.3/विवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर उप वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/1514 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.8 कि.मी. दूर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–टलनार 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–टलनार 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बजावण्ड 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 128 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 385 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 20 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 32,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.83	2%	0.23	Following activities at nearby, Village-Tainar	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,60,500 रुपये, खाद के लिए राशि 11,250 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,25,450 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,58,540 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 630, क्षेत्रफल 1.87 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 70 नग पौधों) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,520 रुपये, फेंसिंग के लिए

राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 540 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,72,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,060 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,640 रूपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्प्रदेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वनमण्डलाधिकारी द्वारा खदान से वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्प्रदेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.ल.अ./5992 जगदलपुर, दिनांक 10/10/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.8 कि.मी. की दूरी पर है।
2. प्रस्तुत जानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज विभाग द्वारा उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्प्रदेश कि जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः जब भी वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्प्रदेश खनिज विभाग द्वारा किये जाने उपरांत उसकी प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

3. एल.ओ.आई. श्री सुरेश परतागिरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3037/खनिज/ख.लि. 3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भसाकली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–टलनार) का रकबा 1.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 70 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,520 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 540 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,72,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,060 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,04,640 रूपये आगामी 2 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं

डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो. – श्री सुरेश परतागिरी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, ग्राम–टलनार, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06 / 12 / 2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5927 / खनि 02 / रेत(Rule 7) / न.क्र. 38 / 1996 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 / 10 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 12 / 01 / 2023) की अवधि हेतु वैध है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स टलनार सेण्ड माईन (प्रो.– श्री सुरेश परतागिरी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1079, ग्राम–टलनार, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु अतिरिक्त शर्त "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।" के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.– श्री शुक्र कुमार निषाद), ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1899)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 248414/2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित खसरा क्रमांक 581, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन छेरीबेड़ा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुक्र कुमार निषाद, प्रोपराईटर एवं श्री सोमेश्वर सिन्हा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाटपाल का दिनांक 21/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 07/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 452/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021–22 नारायणपुर, दिनांक 25/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 453/खनिज/रेत

खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर, दिनांक 26/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री शुक्र कुमार निषाद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 392/खनिज/ख.लि./रेत नीलामी/2021-22 नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2449 नारायणपुर, दिनांक 29/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-खारगांव 1.52 कि.मी., स्कूल ग्राम-बाटपाल 2 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 124 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.39 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 1,150 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 96,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2

टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ग्राम–भाटपाल के खसरा क्रमांक 581, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, जो वन भूमि (वन कक्ष क्रमांक–डी 2316) के अंतर्गत है। सी.ई.आर. कार्य के लिए गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख–रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् गैर वन भूमि में वृक्षारोपण एवं रख–रखाव का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, Village-Bhatpal	
			Pavitra Van Niman	9.57
			Total	9.57

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 28,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,500 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,08,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत भाटपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 237, क्षेत्रफल 2.61 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। छेरीबेड़ा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2731/खनि 02/रेत(रूलर)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 28/10/2022 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सन्नावेश नहीं किया गया है। छेरीबेड़ा नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-भाटपाल) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रायोगिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 500 नग पौधे (अर्जुन, जामुन, करंज, बांस, आम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,72,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,43,750 रूपये एवं आगामी 2 वर्ष में कुल राशि 3,08,380 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.– श्री शुक्र कुमार निषाद), खसरा क्रमांक 581, ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स भाटपाल सेण्ड माईन (प्रो.– श्री शुक्र कुमार निषाद), खसरा क्रमांक 581, ग्राम–भाटपाल, तहसील व जिला–नारायणपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु अतिरिक्त शर्त "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।" के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्परारी परमिट), ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 1984)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 261543/2022, दिनांक 13/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 1136, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–71,371 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशीष कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोलाबेकुर का दिनांक 13/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलीग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 920/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 431/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 434/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 364/कले./खनिज/2021 सुकमा, दिनांक 08/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/प.त.अ./3250 सुकमा, दिनांक 15/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के संरक्षित वन सुकमा परिक्षेत्र के अंतर्गत उप परिक्षेत्र करेलापाल परिसर करेलापाल कक्ष क्रमांक पी.एफ. 273 से 7 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 95 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। गर्लेगर नदी 830 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** जियोलॉजिकल रिजर्व 2,41,680 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,987 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,34,888 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है, जिसमें से 6 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	71,371
द्वितीय	70,616

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 695 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 92,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,950 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 34,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 96,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.92	2%	0.33	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pujaripara (Golabekur)	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets & Kitchen	0.35
			Total	0.70

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. आलेखित लीज क्षेत्र में तेंदू 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। समिति का मत है कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि वृक्षों को काटना आवश्यक न हो तो इन्हें न काटा जाये।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को उक्त कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लैटेराईट मिट्टी/ओवरबर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,845 घनमीटर है, जिसमें से 4,170 घनमीटर लैटेराईट मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष लैटेराईट मिट्टी का उपयोग शासकीय सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र में तेंदू 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पीलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है:–

   (1) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर सुकमा मुद्दापारा मुरतोण्डा का आहाता निर्माण भाग–2 हेतु।

   (2) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 द्वारा कोण्डाकेकुर से इलापारा मार्ग में 648 मीटर स्थान पुलिया निर्माण कार्य हेतु।

   (3) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर सुकमा मुद्दापारा मुरतोण्डा में बी.टी. सड़क निर्माण 500 मीटर हेतु।

   (4) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/04/2020 द्वारा जिला सुकमा अंतर्गत चिन्दगढ़ में वृहद जल आवर्धन कार्य हेतु।

   (5) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 अनुसूचित क्षेत्र में जिला अस्पताल परिसर सुकमा में ट्रांजिस्ट हॉस्टल निर्माण कार्य हेतु।

   (6) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कम मेम्बर सेकेटरी प्रोजेक्ट इमप्लीमेंटेशन यूनिट नं.02 जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् बैलेंस वर्क ऑफ पैकेज नम्बर सी.जी.19–42 (4) सड़क निर्माण एवं रख–रखाव हेतु।

   (7) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर पोटाकेबिन बालक छात्रावास भवन निर्माण (विद्युतिकरण एवं पेयजल सुविधा सहित) कार्य गादीरास हेतु।

   (8) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर पोटाकेबिन बालक छात्रावास भवन निर्माण (विद्युतिकरण एवं पेयजल सुविधा सहित) कार्य केरलापाल हेतु।

   उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित विकास कार्यों एवं शासकीय विकास कार्यों में ही उपयोग किया जाएगा तथा किसी भी निजी व्यापार में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लैटेराईट मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. खदान के पुनर्भराव प्लान के संबंध में परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार उत्खनन के उपरांत खदान क्षेत्र को जलाशय में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि स्थानीय समुदाय के निस्तारी हेतु उपयोग किया जाएगा एवं यह एक उत्तम भू-जल रिचार्ज पिट का भी कार्य करेगा तथा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु ही किया जाएगा।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 431/कार्ते./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोलाबेकुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोलाबेकुर) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्परारी परमिट) को ग्राम-गोलाबेकुर, तहसील व जिला-सुकमा के खसरा क्रमांक 1136 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता 1,41,887 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्परारी परमिट) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कुन्दन परमार), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1826)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67934/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कर्री पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 191 एवं 192, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,883.75 टन (1,153.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुन्दन परमार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में कर्री पत्थर खदान खसरा क्रमांक 191 एवं 192, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,153.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्घात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन दिनांक 25/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	188
01/07/2017 से 31/12/2017	135
01/01/2018 से 30/06/2018	332
01/07/2018 से 31/12/2018	निरंक
01/01/2019 से 30/06/2019	295
01/07/2019 से 31/12/2019	200
01/01/2020 से 30/06/2020	210
01/07/2020 से 31/12/2020	270

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 24/02/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1270/क/ख.नि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 14/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1254/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज आवेदक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/01/2007 से 02/01/2017 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/01/2017 से 01/01/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3349 महासमुंद, दिनांक 21/11/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.9 कि.मी. दूर है। महानदी 410 मीटर एवं बरसाती नाला 810 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 62,100 टन (24,840 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,351 टन (9,340 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 17,513 टन (7,005 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 23,210 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 7,710 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,280 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	1050
2023	1,057.5
2024	812
2025	961.5
2026	937.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 258 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये चिन्हित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, घोड़ारी एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 96 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के

दक्षिण दिशा में ग्राम–पोहारी एवं मुईना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 680 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 20/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु ग्राम पंचायत बरबसपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रत्नदेव पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 3 (iv) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC

Raipur." के स्थान पर 3 (iv) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report." के स्थान पर (xv) "Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

- 3 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 3 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहार्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन भांडेकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1625)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 67917 / 2021, दिनांक 27 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 187 / 1, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14 / 02 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्रसेन भांडेकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 187 / 1, कुल क्षेत्रफल–0.30 हेक्टेयर, क्षमता–579 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	162
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/06/2019	180
01/07/2019 से 31/12/2019	270
01/01/2020 से 30/06/2020	355
01/07/2020 से 31/12/2020	165

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 19/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1701/क/खनि./न.क./2016 महासमुंद, दिनांक 26/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1247/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज आवेदक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/01/2012 से 09/01/2022 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 10/01/2022 से 09/01/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./खनिज/7424 महासमुंद, दिनांक 06/11/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.8 कि.मी. दूर है। महानदी 480 मीटर एवं बरसाती नाला 840 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 29,150 टन (11,566 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 14,110 टन (5,644 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,582 टन (4,233 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 9,798 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 3,782 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,164 वर्गमीटर है। प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	556
2023	544
2024	579
2025	579
2026	579

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.98 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि यदि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया हो तो पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures)

एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) छोड़ते हुये रिजर्व की गणना की गई है। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुये रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये चिन्हित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोड़ारी एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–पोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं पोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 680 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। यदि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया हो तो पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वस की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।

6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत बरबसपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं किये जाने, उत्खनन हेतु एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, अधिकतम गहराई 6 मीटर तक सीमित रखे जाने, उत्खनन कार्य केवल मैन्युअल विधि से किये जाने के कारण नियमानुसार माईन लीज बाण्ड्री के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की पट्टी छोड़ी गई है। इसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि:–

   माईन्स एक्ट, 1952 (खानों में और क्षेत्र श्रम के विनियमन से संबंधित) की धारा 3(1) के अनुसार खदान में उत्खनन हेतु किसी एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, 6 मीटर से अधिक गहराई तक (उच्चतम से न्यूनतम बिन्दु तक) उत्खनन नहीं होने तथा उत्खनन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण माईन्स एक्ट, 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा पट्टी की बाध्यता नहीं होने के कारण अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा पट्टी छोड़ा गया है।

   अतः सुरक्षा कारणों से लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project

proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 3 (iv) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." **के स्थान पर** 3 (iv) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the

Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report." के स्थान पर 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

- 3 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 3 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को संशोधित टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

11. मैसर्स सुमन मिनरल्स (प्रो.– श्री बी.एल. रमानी, मोहभट्ठा डोलोमाईट डिपोजिट), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1664ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 212404 / 2021, दिनांक 17 / 06 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संयुक्त लोक सुनवाई हेतु दिनांक 13 / 10 / 2022 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 1299, 1301, 1302, 1303, 1304 एवं 1305, कुल क्षेत्रफल–2.26 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,698 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन के ज्ञापन क्रमांक 810, दिनांक 28 / 06 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17 / 10 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल.रमानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जिला बेमेतरा के ग्राम कोदवा एवं मोहभट्ठा में स्थित विभिन्न खदानों का एक स्पष्ट क्लस्टर बन रहा है, जो कि

Google Earth की Satellite Image से स्पष्ट होता है। इस क्लस्टर में मेरी भी खदान शुभम मिनरल्स प्रो.– श्री बी.एल. रमानी, रकबा–2.26 हेक्टेयर, ग्राम–मोहमट्टा में स्थित है। जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आपके माननीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

समस्त परियोजना प्रस्तावकों की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एक साथ लोकसुनवाई करवाये जाने का अनुरोध है।

माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में "There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared" का उल्लेख है। अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** यह अनुशंसा की गई कि क्लस्टर हेतु संयुक्त जन सुनवाई संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा कराई जा सकती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये क्लस्टर हेतु संयुक्त जन सुनवाई संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा कराई जा सकती है, का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण का यह भी निर्णय है कि आवेदित खदान के क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों की अद्यतन जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा से मंगवाया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा को पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामशंकर वर्मा), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2072)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 18056/2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 58, कुल क्षेत्रफल–1.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,240 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामशंकर वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 58, कुल क्षेत्रफल-1.02 हेक्टेयर, क्षमता-10,710.26 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 638/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 10/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	2,800
2018-19	1,000
2019-20	1,000
2020-21	1,000
2021-22	7,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** -- उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकोनी का दिनांक 06/06/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** -- स्कीम ऑफ क्वारी एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.उ.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6754/खनि 02/ना.प्र.

अनुमोदन/न.क्र.08/2021(3) नया रायपुर, दिनांक 29/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/215/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 64.073 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/215/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री रामखिलावन ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री रामखिलावन ध्रुव के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 22/08/2017 को श्री रामशंकर वर्मा के नाम पर हस्तांतरित की गई। लीज डीड दिनांक 16/07/2007 से दिनांक 15/07/2037 तक वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./1171 रायपुर, दिनांक 07/06/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आनाकोनी 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–आनाकोनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 38.5 कि. मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,37,110 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 46,200 टन एवं रिकवरेबल 41,580 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,796 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,189 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है।

खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,240
द्वितीय	9,240
तृतीय	9,240
चतुर्थ	9,240
पंचम	9,240

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 891 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 691 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,798 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें 958 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/215/ख.नि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 64.073 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) का रकबा 1.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आमाकोनी) को मिलाकर कुल रकबा 65.093 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit the consent agreement copy of actual land owner for mining.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 5 (iii) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के स्थान पर 5 (iii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IA(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सहर्ष टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा

रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कमलेश पांडे), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2076)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78200/2022, दिनांक 11/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 395, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409, 424/2 एवं 426/1, कुल क्षेत्रफल–4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,150 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी का दिनांक 17/01/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 179/खनि.अनु–01/2022 दुर्ग, दिनांक 05/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 395, 407, 408/2 श्री राजेश पांडे, खसरा क्रमांक 405/1, 405/2, 406/3, 406, 408/4, 409, 424/2, 426/1

श्री नंदकुमार एवं खसरा क्रमांक 408/1, 408/3 श्री जागेश्वर व श्री राजू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री कमलेश पांडे के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/61/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/819 दुर्ग, दिनांक 06/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.7 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,23,750 टन, माईनेबल रिजर्व 7,84,026 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 7,44,825 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,300 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,400 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,688
द्वितीय	1,12,500
तृतीय	1,12,500
चतुर्थ	1,12,500
पंचम	1,50,150

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,300 वर्गमीटर क्षेत्र में से कुछ भाग 15 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर क्वारी प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से उत्तरी एवं पश्चिमी दिशा की तरफ संकीर्ण क्षेत्र (Narrow area) होने के कारण 1,180 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त क्लस्टर हेतु पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को कराई जा चुकी है तथा उस आधार पर पूर्व में उसी क्लस्टर में सम्मिलित खदान मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मुकेश धोड़ी) को लोक सुनवाई में छूट देते हुये टी.ओ.आर. जारी किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह खदान उस क्लस्टर का भाग होने के कारण लोक सुनवाई से छूट प्रदान करते हुये टी.ओ.आर. जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/08/2022 अनुसार "**The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC**" है।

पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया था तथा क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को आयोजित की गई थी। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार

वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा एवं पूर्व लोक सुनवाई की वैधता समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है, जिसके पश्चात् ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाना है। उपरोक्त के संदर्भ में समिति का मत है कि नवीन बेसलाईन डाटा एकत्रित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाना तथा क्लस्टर हेतु पुनः लोक सुनवाई कराया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चान्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) का रकबा 4.26 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) को मिलाकर कुल रकबा 78.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 4 (xiv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 4 (xiv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

14. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री केशव ध्रुव), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (समिवालय का नस्ती क्रमांक 2048)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77441/2022, दिनांक 28/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 410 एवं 411, कुल क्षेत्रफल–1.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री केशव ध्रुव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 24/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाइव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 496/खनिज/उत्ख.यो. /2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1018/खनिज/ख.लि. 4/14/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 15.84 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1020/खनिज/ख.लि.4/14/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री केशव ध्रुव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन

क्रमांक / 1373 / खनिज / ख.लि.4 / 14 / 2020-21 / उ.प. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 14 / 06 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 410 श्री मनराखन एवं खसरा क्रमांक श्रीमती मालती 411 के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र. / क.त.अ. / 780 जगदलपुर, दिनांक 04 / 02 / 2022 से जारी प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-टिकनपाल 2.19 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल बस्तर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.21 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 800 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,24,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,23,388 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,480 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,900 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	12,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 624 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1018/खनिज/ख.लि.4/14/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 15.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का रकबा 1.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल रकबा 17.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   vi. Project proponent shall submit the copy of LOI Extension.

vii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for usage of water.

viii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 2 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." **के स्थान पर** 2 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

15. मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंग कश्यप), ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2047)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77443/2022, दिनांक 28/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1129 एवं 1138/2, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंग कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालेंगा का दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाइव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/उत्ख.यो. /2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1016/खनिज/ख.लि. 4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.07 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल,

पुल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मोहन सिंह कश्यप के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1369/ खनिज/ ख.नि.4/ 16/ 2020–21/ उ.प./ 2021 जगदलपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1142 श्री रूपसिंग, खसरा क्रमांक 1139, 1141, श्री जीनाथ, खसरा क्रमांक 1140 श्री लखेश्वर, खसरा क्रमांक 1128/1, 1138/1 श्री बंधु, श्रीमती पार्वती, सुश्री गीता, सुश्री भूमिका सुश्री लेखिका, खसरा क्रमांक 1138/2 श्री मनबू एवं श्रीमती पदमा एवं खसरा क्रमांक 1129 श्री लेखन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि खसरा क्रमांक 1129 श्री लेखन का उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.ता.अ./1860 जगदलपुर, दिनांक 12/04/2022 से जारी प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालेगा 1.4 कि.मी., स्कूल बस्तर 8 कि.मी. एवं अस्पताल बस्तर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 705 मीटर दूर है। मारकण्डी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,67,683 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,70,153 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500

द्वितीय	12,500
तृतीय	17,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 928 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर क्षेत्र में से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1016/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुलेगा) का रकबा 1.96

हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बालेंगा) को मिलाकर कुल रकबा 5.03 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the copy of LOI Extension.

v. Project proponent shall submit the land agreement copy for mining.

vi. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for usage of water.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 4 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 4 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and

maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को संशोधित टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

16. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पथराई एवं लुरेना बाक्साईट माईन), ग्राम–पथराई एवं लुरेना, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2124)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82064/2022, दिनांक 09/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथराई एवं लुरेना, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित ग्राम–पथराई का खसरा क्रमांक – 2, 4 एवं 34 अन्य तथा ग्राम–लुरेना का खसरा क्रमांक – 937, 944 एवं 95 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 79.19 हेक्टेयर (निजी भूमि – 47.62 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 31.57 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,07,692.3 टन (सेलेबल बॉक्साईट 2,00,000 टन एवं अपशिष्ट 1,07,692.3 टन) प्रतिवर्ष, ओवर बर्डन क्षमता – 2,82,396.58 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 6 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 26/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईट क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:-

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	पथरई	मैनपाट/सरगुजा	79.19	82064
2.	नर्मदापुर	मैनपाट/सरगुजा	139.50	82088
3.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सरगुजा	147.625	82957

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एलुमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-सिरंगा, जिला-सरगुजा में एलुमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह सितम्बर 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसिसटेंट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स

ओवरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से डॉ. नवीन अहमद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एण्ड प्रोपोस्ड माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बीक्ल/खपो–1336/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1026/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित फरवई बीक्साईट खदान, क्षेत्रफल 99.35 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1026/ख.नि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। खदान से 200 मीटर की परिधि में चर्च, नाला तथा सड़क स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–3/2022/12 नया रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष (दिनांक 27/03/2023 तक) की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुमत होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, मैनपाट (कमलेश्वरपुर) के ज्ञापन क्रमांक/मै./2021/1086 मैनपाट, दिनांक 08/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र

वन क्षेत्र की सीमा से दक्षिण की ओर 1.5 कि.मी. धरमजयगढ़ वनमण्डल, उत्तर की ओर वन क्षेत्र 1 कि.मी. एवं पश्चिम की ओर वन क्षेत्र 5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित पथरई लीज क्षेत्र में 5 नग साल, 6 नग नीलगीरी तथा लुरेना लीज क्षेत्र में 3 नग साल, 3 नग नीलगीरी के वृक्ष स्थित है। आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य शामिल नहीं है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथरई 560 मीटर, ग्राम–लुरेना 1.3 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 कि.मी. दूर है। संगुल नदी 6.6 कि.मी. एवं जलजला नाला 3.3 कि.मी. दूर है।

11. कुमार्ता आरक्षित वन 4 कि.मी., बरिमा आरक्षित वन 6.2 कि.मी. एवं पटकुरा संरक्षित वन 10 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 20,06,970 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,31,301 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेबल मिनरल्स (टन)	रिजेक्ट्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	89,500.318	58,175.2	31,325.11
द्वितीय	1,50,732.55	97,976.15	52,756.39
तृतीय	1,94,224.04	1,26,245.6	67,978.41
चतुर्थ	2,54,942.06	1,65,712.3	89,229.72
पंचम	3,07,692.3	2,00,000	1,07,692.3

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:–

- सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू-स्वामी को बॉक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाना है। उपरोक्त क्षेत्रों के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु निजी

भू-स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनको खनन उपरांत खेती किया जाना होता है।

- सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रों में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की परिधि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से सलाह कर उन क्षेत्रों वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।

समिति का मत है कि उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही निजी भूमि के अतिरिक्त लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी जो कि शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात् खदान की आयु तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1028/खनि–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित पथराई बॉक्साईट खदान, क्षेत्रफल 99.35 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पथराई एवं लुरेना) का रकबा 79.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पथराई एवं लुरेना) को मिलाकर कुल रकबा 178.54 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) माईन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

v. As per submission made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining" the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

vi. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

vii. Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).

viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.

xvii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xviii. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.

xix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xx. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि–

- 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." **के स्थान पर** 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को मानक टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

17. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (नर्मदापुर एवं कुनिया बाक्साईट माईन), ग्राम–नर्मदापुर एवं कुनिया, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2125)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82088/2022, दिनांक 09/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नर्मदापुर एवं कुनिया, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित ग्राम–नर्मदापुर का खसरा क्रमांक – 9, 10 एवं 39 अन्य तथा ग्राम–कुनिया का खसरा क्रमांक – 595, 596 एवं 93 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 139.5 हेक्टेयर (निजी भूमि – 57.563 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 81.937 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,61,538.46 टन (सेलेबल बॉक्साईट 3,00,000 टन एवं अपशिष्ट 1,61,538.46 टन) प्रतिवर्ष, ओवर बर्डन क्षमता – 4,75,048 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 7.5 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 26/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	पथरई	मैनपाट/सरगुजा	79.19	82064
2.	नर्मदापुर	मैनपाट/सरगुजा	139.50	82068
3.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सरगुजा	147.625	82957

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–घिरना, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह सितम्बर 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र

का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से डॉ. नफीस अहमद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बीका/खनि–1338/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1022/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य बॉक्साईट खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1026/ख.नि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। खदान से 200 मीटर की परिधि में नहर तथा सड़क स्थित है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–6/2022/12 नया रायपुर, दिनांक 06/07/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष (दिनांक 27/03/2023 तक) की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, बी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप

से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू-स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2188 अम्बिकापुर, दिनांक 16/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है। प्रस्तावित क्षेत्र नर्मदापुर में 72 नग साल तथा कुनिया में 482 नग साल, 35 नग नीलगीरी के वृक्ष है। आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य शामिल नहीं है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-नर्मदापुर 1.7 कि.मी., ग्राम-कुनिया 2.4 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन अम्बिकापुर 55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। घाघी नाला 700 मीटर एवं पुनपुट्टा नाला 4 कि.मी. दूर है।

11. कुसमी आरक्षित वन 4 कि.मी., अलोला आरक्षित वन 12.8 कि.मी. एवं बरिना आरक्षित वन 300 मीटर दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,03,27,152 टन एवं माईनेबल रिजर्व 71,06,000 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9.8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.35 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेबल मिनरल्स (टन)	रिजेक्ट्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	3,95,943.59	2,57,363.3	1,38,580.3
द्वितीय	4,14,680.64	2,69,542.4	1,45,138.2
तृतीय	4,32,601.30	2,81,190.8	1,51,410.5
चतुर्थ	4,52,570.07	2,94,170.5	1,58,399.5
पंचम	4,61,538.46	3,00,000.0	1,61,538.5

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:–

- सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू-स्वामी को बॉक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाना है। उपरोक्त क्षेत्रों के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु निजी भू-स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनको खनन उपरांत खेती किया जाना होता है।

- सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रों में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की परिधि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से सलाह कर उन क्षेत्रों वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।

समिति का मत है कि उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही निजी भूमि के अतिरिक्त लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी जो कि शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात् खदान की आयु तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास बनी रहे, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1022/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य कोलाईट खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–नर्मदापुर एवं कुनिया) का रकबा 13.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. **Project proponent shall submit the Environment Management Plan.**

ii. **Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.**

iii. **Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.**

iv. **Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.**

v. **As per submission made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.**

vi. **The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.**

vii. **Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).**

viii. **Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.**

ix. **Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.**

x. **Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from compenent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.**

xi. **Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).**

xii. **Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.**

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.

xvii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xviii. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.

xix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xx. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." **के स्थान पर** 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." **पढ़ा जाए।**

परियोजना प्रस्तावक को सर्वसर्व टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

18. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–कमलेश्वरपुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2138)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82957/2022, दिनांक 26/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (गुरुत्व खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कमलेश्वरपुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित ग्राम–कमलेश्वरपुर का खसरा क्रमांक – 2, 3 एवं 143 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 147.625 हेक्टेयर (निजी भूमि – 1.779 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 145.844 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,61,538.46 टन (सेलेबल बॉक्साईट 3,00,000 टन एवं अपशिष्ट 1,61,538.46 टन) प्रतिवर्ष, ओवर बर्डन क्षमता – 9,58,476.16 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 18 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 26/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड ब्लॉकों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	पथरई	मैनपाट/सरगुजा	79.19	82064
2.	नर्मदापुर	मैनपाट/सरगुजा	139.50	82088
3.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सरगुजा	147.625	82957

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आवंटन के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–पिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह सितम्बर 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त शर्तों

क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन–टेक कन्सल्टेंट्स की ओर से डॉ. नवीस अहमद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/बॉक्सा/खयो–1337/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.नि.–1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य बॉक्साईट खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.नि. –1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। खदान से 200 मीटर की परिधि में नाला, सड़क एवं विभिन्न का बीच मध्य स्थित है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–12/2021/12 नया रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो 1 वर्ष (दिनांक 27/03/2023 तक) की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का खसरा, बी–1, पी–2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नक्शा पर सम्पूर्ण निजी भूमि को स्पष्ट रूप से अंकित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर फसल क्षति मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। फसल क्षति मुआवजा का भुगतान निजी भू–स्वामियों को खनिपट्टा अनुबंध होने के उपरांत शासन के नियम/निर्देशानुसार किया जाएगा। फसल क्षति मुआवजा भुगतान होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में ग्राम–कमलेश्वरपुर का क्षेत्रफल 92.486 हेक्टेयर एवं ग्राम–रोपाखार का क्षेत्रफल 55.127 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में ग्राम–कमलेश्वरपुर का ही उल्लेख होना पाया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ समस्त जानकारी/दस्तावेजों में ग्राम–रोपाखार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम रोपाखार का पंचायत अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1422 अम्बिकापुर, दिनांक 02/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन अभयारण्य क्षेत्र नहीं है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कमलेश्वरपुर 650 मीटर एवं ग्राम–रोपाखार 3.21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 कि.मी. दूर है। जलजला नाला 1.5 कि.मी. एवं मनपारी नाला 4 कि.मी. दूर है।

11. कुमार्ता आरक्षित वन 5 कि.मी., पटवुरा संरक्षित वन 11 कि.मी. एवं बरिमा आरक्षित वन 6.4 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 87,92,155 टन एवं माईनेबल रिजर्व 71,19,417 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9.8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं लेटेराईट की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेबल मिनरल्स (टन)	रिजेक्ट्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	1,50,162.08	97,605.35	52,556.73
द्वितीय	2,14,723.18	1,39,570.08	75,153.11
तृतीय	3,09,443.17	2,01,138.06	1,08,305.11
चतुर्थ	3,89,984.79	2,53,490.11	1,36,494.68
पंचम	4,61,538.46	3,00,000.0	1,61,538.46

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:–

- सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू-स्वामी को बॉक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्रों के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु निजी भू-स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनको खनन उपरांत खेती किया जाना होता है।

- सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रों में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की परिधि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से सलाह कर उन क्षेत्रों वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।

समिति का मत है कि उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही निजी भूमि के अतिरिक्त लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी जो कि शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यदि लीज क्षेत्र के भीतर वृक्ष, रहवास आदि अवस्थित हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाना

आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात् खदान की आयु तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.नि.-1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य बॉक्साईट खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-कमलेश्वरपुर) का रकबा 147.652 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.

   iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   v. As per submission made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.

   vi. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.

   vii. Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).

   viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.

xvii. Project proponent shall submit all the relevant document regarding land comes under Village – Ropakhar & also submit the Gram Panchayat NOC of Village – Ropakhar.

xviii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xix. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.

xx. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xxi. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

xxii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 2 (xxiii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." **के स्थान पर** 2 (xxiii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

19. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1222)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /सीएमआईएन/ 87036/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /आईएनडी/290283/2022, दिनांक 26/08/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 65, दिनांक 21/04/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" **के स्थान पर** "खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2" हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2021 में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 88/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 86 का उल्लेख हो गया है तथा प्रस्तावित उद्योग हेतु भूमि विवरण तालिका में खसरा क्र. की सूची में S.No.1 एवं S.No.8 में खसरा क्रमांक त्रुटिवश गलत लिखा गया है जिसमें सुधार करते हुये S.No.1 का पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 79/1 के रकबा 1.13 एकड़ के स्थान पर रकबा 1.17 एकड़ तथा S.No.8 के खसरा क्रमांक 86 के स्थान पर खसरा क्रमांक 88/2 सुधार किया जाये तथा रकबा 0.64 एकड़ के स्थान पर 0.6 एकड़ सुधार

किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः भूमि विवरण तालिका निम्नानुसार है:–

S.No.	Khasra No.	Area (In Acres)
1.	Part of 79/1	1.17
2.	78 & 95	5.70
3.	80	0.52
4.	81	0.39
5.	Part of 82	0.74
6.	84	0.39
7.	87	0.70
8.	68/2	0.60
9.	Part of 55	0.87
10.	56	1.64
11.	59/1	1.97
12.	58/1	0.42
13.	58/2	0.42
14.	Part of 79/2	0.37
15.	Part of 93/1	0.21
16.	Part of 90/3	0.26
Total		**16.37**

2. प्रस्तावित वाशरी हेतु प्रयुक्त प्रस्तुत भूमि विवरण में कुल खसरों की संख्या 16 एवं कुल रकबा 16.37 एकड़ था और त्रुटि सुधार उपरांत भी यथावत् रहेगी। यह त्रुटि typographical mistake के कारण हुआ है। उक्त सभी खसरे मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड के आधिपत्य की है, जिसके बी–1 खसरा की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. खसरा क्रमांक एवं रकबा में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021, संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक 65, दिनांक 21/04/2022 एवं क्षमता विस्तार हेतु आवेदित प्रस्ताव क्र. एसआईए/ सीजी/ /सीएमआईएन/ 77245/2022, दिनांक 25/08/2022 में लिखित खसरा क्रमांक एवं रकबा में त्रुटि सुधार हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्राप्त आवेदन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाए।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत जानकारी एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

S.No.	KHASARA No.	Ha.	Acre
1	Part of 79/1	0.473	1.17

2.	78 & 95	2.307	5.70
3.	80	0.210	0.52
4.	81	0.158	0.39
5.	82	0.299	0.74
6.	84	0.129	0.32
7.	87	0.283	0.70
8.	58/2	0.243	0.60
9.	Part of 55	0.352	0.87
10.	56	0.664	1.64
11.	59/1	0.799	1.97
12.	58/1	0.170	0.42
13.	58/2	0.170	0.42
14.	Part of 79/2	0.150	0.37
15.	Part of 93/1	0.113	0.28
16.	90/3	0.105	0.26
	Total	**6.629**	**16.37**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। साथ ही उपरोक्त संशोधन हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) भी प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 1420, दिनांक 28/09/2021 एवं संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक 65, दिनांक 21/04/2022 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई जिसमें खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, **79/2, 93/1**, 90/3, 78, 95, 80, 81, **पार्ट ऑफ 82**, 84, **86**, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2 **के स्थान पर** 'खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, **82**, 84, 87, 58/2, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1, 58/1, 58/2, **पार्ट ऑफ 79/2, पार्ट ऑफ 93/1**, 90/3 पढ़ा जाये।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुवे विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र के आधार पर प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोटूमल आहूजानी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1965)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 261097/2022, दिनांक 10/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया

गया है। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/10/2022 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 725/2(पार्ट), 745, 747 एवं 748, कुल लीज क्षेत्रफल–1.035 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–15,360 टन प्रतिवर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/10/2022 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री राकेश अग्रवाल, जबकरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–जबकरा, तहसील–मानपुर, जिला–मानपुर–मोहला–अ.चौकी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2174)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 404902/ 2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जबकरा, तहसील–मानपुर, जिला–मानपुर–मोहला–अ.चौकी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 143/2, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/11/2022 के माध्यम से अपरिहार्य कारणों से प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया

गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से बॉयो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से बॉयो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।

अपर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 18/10/2022 द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

- जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के वैधानिक विधि से निपटान हेतु जैव–चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में अवगत कराते हुये सतर्कता पूर्वक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।
- जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का अवैधानिक/गैर एनालिसिस स्टडीस एवं स्टेट पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के मॉनिटरिंग में कमी/ बॉयो मेडिकल वेस्ट की अवैध डम्पिंग करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है।
- इस विषय पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनिवार्य रूप से गैप एनालिसिस स्टडीस किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से विस्तृत प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु लेख किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/11/2022 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06/12/2022 को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 06/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सतत् रूप से प्रयास कर राज्य में स्थित सभी चिकित्सा सुविधा संस्थानों (Health Care Facilities) को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत् प्राधिकार के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राधिकार के दायरे में लाये जाने के उपरांत चिकित्सा संस्थान से उत्पन्न जीव चिकित्सा अपशिष्ट का किस विधि से अपवहन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित हो पाता है। साथ ही उस पर नियंत्रण करने में सुविधा उपलब्ध होती है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शासकीय चिकित्सा सुविधा संस्थान – 1018, निजी चिकित्सा सुविधा संस्थान – 4685, वेटनरी चिकित्सा संस्थान – 362 एवं शासकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी – 660 को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार जारी किया गया है।

3. चिकित्सा संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन के कारण जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत 345 चिकित्सा सुविधा संस्थानों के विरूद्ध रूपये 76,42,730/- लाख अधिरोपित की गई है, जिसमें से रूपये 54,06,445/- लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

4. वर्तमान में 04 स्थानों क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं रायगढ़ में संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था (Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility) संचालित है, रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित संयुक्त उपचार व्यवस्था इन्सीनरेटर आधारित है तथा कोरबा एवं रायगढ़ में स्थापित संयुक्त उपचार व्यवस्था डीप बरियल पद्धति पर आधारित है।

राज्य में संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था का विस्तार किये जाने हेतु कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इस अनुक्रम में हाल ही में अंबिकापुर में मेसर्स वी.एन. टेक्नोलीजट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से विधिवत् सम्मति एवं प्राधिकार प्राप्त किया गया है। संस्था द्वारा क्षेत्र एवं आसपास स्थित चिकित्सा सुविधा संस्थानों से अनुबंध करने की कार्यवाही हेतु आयुक्त, सरगुजा संभाग से अनुरोध किया गया है।

उक्त संस्थान द्वारा ग्राम-कोण्डागांव (बस्तर) में संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई। तदोपरांत स्थापना सम्मति दिनांक 22/10/2019 को प्राप्त कर निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, जिसे ग्रामवासियों के विरोध के कारण बंद करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कर्कोटी द्वारा दिनांक 03/09/2020 को उक्त व्यवस्था का निर्माण कार्य रूकवाने बाबत् छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर स्टे नहीं दिया गया। लगभग 90 प्रतिशत निर्माण पूर्ण हो चुका है।

रायगढ़ एवं कोरबा में इन्सीनरेटर आधारित संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था की स्थापना के लिए संस्थान द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त व्यवस्था के लिए रायगढ़

में भूमि आवंटन हो चुका है। कोरबा में भूमि आवंटन में कतिपय कठिनाई आ रही है, जिसका निदान शीघ्र किया जाना आवश्यक है।

5. राज्य में संचालित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था (Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility) का विवरण:–

क्र.	संस्थान का नाम	अपवहन पद्धति	अनुबंध किये गये चिकित्सा संस्थानों की संख्या
1.	मेसर्स एसएमएस वाटरग्रेस इन्वायरोप्रोटेक्ट प्रा.लि. ग्राम–सिलतरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)	इन्सीनरेटर पद्धति	2,001
2.	मेसर्स इन्वायरोकेयर इंटरनेशनल (छत्तीसगढ़) खसरा नं. 1359, ग्राम–कठार, सेंदरी के पास, बिलासपुर (छ.ग.)	इन्सीनरेटर पद्धति	667
3.	मेसर्स इन्वायरोकेयर इंटरनेशनल (छत्तीसगढ़), बरबसपुर, उरगा के पास, जिला–कोरबा (छ.ग.)	डीप बरियल पद्धति	104
4.	मेसर्स अरोमा सोशल सर्विस, बड़े रामपुर, जिला–राजगढ़ (छ.ग.)	डीप बरियल पद्धति	85
	कुल		2,857

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराया जाए।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (पार्टनर – श्री शैलेष तिवारी, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2061)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77623/2022, दिनांक 01/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मंदिर हसौद के क्लस्टर के मॉनिटरिंग डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मीन्स खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 706/2, कुल क्षेत्रफल–4.05 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 6,00,000.789 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022 की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर पत्र जारी किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मंदिरहसौद क्लस्टर हेतु पूर्व में मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/12/2020 को जारी किया गया है। उक्त प्रकरण हेतु क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह खदान उस क्लस्टर का भाग होने के कारण मॉनिटरिंग डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार "**The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC**" है।
3. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता 31/12/2022 तक की है। यदि वैधता समाप्ति उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाता है तो पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा को मान्य नहीं किया जाएगा एवं उक्त परिस्थिति में परियोजना प्रस्तावक को नवीन बेसलाईन डाटा एकत्रित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक होगा।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (संचालय का नस्ती क्रमांक 2046)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77308/2022, दिनांक 27/05/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मंदिर हसौद के क्लस्टर के मॉनिटरिंग डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1204, दिनांक 31/10/2022 द्वारा प्रकरण "बी1" केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्तमान में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। चूंकि कोविड–19 हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 1 वर्ष के अवधि (Period) को व्यतीत अवधि (Lapse period) माना गया तथा मॉनिटरिंग के 3 वर्ष के डाटा को पुनः उपयोग करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में एकत्रित बेस लाईन डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे आवेदित प्रकरण एवं मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (पार्टनर – श्री शैलेष तिवारी, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर की संयुक्त लोक सुनवाई कराई जा सके। चूंकि उक्त दोनों खदानें एक ही क्लस्टर का भाग है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में "**There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared**" का उल्लेख है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दोनों खदानें एक ही क्लस्टर का भाग होने के कारण संयुक्त जन सुनवाई कलेक्टर द्वारा कराई जा सकती है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़